श्रीमती बलविन्द्र कौर बनाम सीतो उर्फ शीत कौर व अन्य
प्रकरण संख्या 2022/072

14.02.25 पत्रावली पेश हुई। हरनाम सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह जाति लबाना सिख, निवासी थर्मल प्लांट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 159/2019, मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 1 ता 25 सीतो बाई उर्फ सीतो कौर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादिया द्वारा जो वादपत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें वादिया द्वारा प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा है तथा वादिया द्वारा जो भूमि सीतो बाई उर्फ सीतो कौर के नाम से है, वह भूमि उसके नाम से कहां से तथा किस दस्तावेज से आई, इस दस्तावेज को पेश नहीं किया गया है तथा जो दान–पत्र लिखवाया गया है, वह जब लिखवाया गया, उस समय न्यायालय में वाद विचाराधीन था तो वह दान पत्र लिखवा सकती है या नहीं तथा पूर्व में कई वाद विचाराधीन है जिनमें प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है। वादीया द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली न्यायालय के समक्ष पेश नही की गई है।

वादीया एवं प्रतिवादी द्वारा दुर्भिसंन्धि के आधार पर उक्त वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश किया गया है, वही वाद पूर्व में श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, उस वाद में प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया था। वह वाद न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया था कि उससे पूर्व भी एक वाद विचाराधीन था। इस प्रकार वह वाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा भी खारिज किया जा चूका है तथा वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। स्थगन आदेश नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण व वादीया द्वारा परस्पर मिल कर दुर्भिसन्धि कर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के आशय से न्यायालय को भ्रम में रख कर उक्त विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया है। उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रार्थी के हितों पर पड़ेगा। इसलिये प्रार्थी प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। उक्त प्रार्थना पत्र मे यदि प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो प्रार्थी के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रार्थी न्याय से वंचित रह जायेगा। प्रार्थी अपने पिता की भूमि में से अपने हक से वंचित हो जायेगा। वादिया एवं प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय को भ्रमित कर व परस्पर दुर्भिसन्धि कर, जिस वाद को श्रीमान न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज कर दिया गया था उसी वाद को पुनः दुर्भिसन्धि के आधार पर न्यायालय के समक्ष सही तथ्य न रख कर, गलत तथ्यों के आधार समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आकर गलत आदेश पारित करवा कर प्रार्थी को नुकसान कारित कर उसके हिस्से की भूमि हड़प करने के आशय से वादिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र पेश किया गया है। इसमें माननीय न्यायालय को सही तथ्यों से अवगत करवाने तथा प्रार्थी को उसके हिस्सा की कृषि भूमि प्रदान करवाने के लिए वाद पत्र में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त अनवानी वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का जवाब दिनांक 11.07.2023 को पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार – प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि चक 3 जी छोटी के खाता संख्या 108/98 मु.न. 22 के किला नं. 1 ता 25 कुल 5.880 हैक्टे0 स्वरूप सिंह , सुगन सिंह , ताम्बी बाई, व सीतो के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रार्थी का इस जमाबंन्दी में कोई नाम नही है इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया जा सकता। प्रार्थना पत्र के शेष तथ्य अस्वीकार है।

वादिया अप्रार्थीया द्वारा चक 3 जी के खाता संख्या 159/108 के मु.न. 22 के किला नं. 1 ता 25 में शुगन सिंह के नाम से 1/4 हिस्सा व सीतो द्वारा दिनांक 29.04.2017 को दान किया गया कुल हिस्सा 1.675 हैक्टे0 6.10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि की अपने नाम से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है।

वादिया/ अप्रार्थीया के पिता सुगन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादिया का पति गुम होने के कारण अपने 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि वादिया को वतौर उपहार स्वरूप दे दी थी जिसका कोई दस्तावेज तहरीर नही हुआ लेकिन कब्जा 1.470 हैक्टे0 का उसी दिन से वादिया के पास है इसी कृषि भूमि से वादिया अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। प्रार्थी हरनाम सिंह द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर पक्षकार बनने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में एक वाद उक्त प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी हरनाम सिंह पक्षकार था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22.12.2014 को प्रार्थी हरनाम सिंह को पंजीकृत दित्सापत्र के आधार पर इसी वादाधीन भूमि में से 13.05 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया गया था तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई जिसमें प्रार्थी हरनाम सिंह को अपने निर्णय दिनांक 26.04.2016 से स्वरूप सिंह के 1/4 हिस्से का वसीयत के आधार पर प्रार्थी हरनाम सिंह को खातेदार घोषित किया गया था। उक्त माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील की गई है जो कि विचाराधीन है।

अतः उक्त विचाराधीन वाद इसी प्रश्नगत आराजी बाबत है जिसमें वादी एक हितबद्ध पक्षकार है और प्रार्थी को अपना पक्ष रखे जाने का मौका दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हरनाम सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह जाति लबाना सिख निवासी थर्मल प्लांट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को प्रतिवादी संख्या 08 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी हेतु दिनांक 06.03.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:06 IST
Reason: SelfAttested